भाग पाँच : संगठनात्मक मामले

1. भाप्रविबो (सेबी) का बोर्ड

श्री एम. दामोदरन् ने 18 फरवरी 2005 (अपराह्न) से भाप्रविबो के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला । श्री ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी 18 फरवरी 2005 को, कारबार बंद होने पर, भाप्रविबो के अध्यक्ष के पद से पदमुक्त हुए ।

श्री मधुकर को दिनाँक 14 दिसम्बर 2004 की अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन भाप्रविबो के पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया । उन्होंने उसी तारीख से पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया ।

श्री जी. अनंतरामन् को दिनाँक 14 दिसम्बर 2004 की अधिसूचना *के माध्यम से* भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन भाप्रविबो के पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया । श्री अनंतरामन् ने 15 दिसम्बर 2004 से पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया ।

भाप्रविबो बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य श्री टी.एम. नागराजन् ने, 13 सितम्बर 2004 को अपनी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, भाप्रविबो के पूर्णकालिक सदस्य का पद त्याग दिया ।

भाप्रविबो बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य श्री आलोक कुमार बतरा ने, भारत सरकार द्वारा उनके त्यागपत्र को स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप, 20 दिसम्बर 2004 को भाप्रविबो के पूर्णकालिक सदस्य का पद त्याग दिया ।

कंपनी कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती कोमल आनंद को श्री एम.एम.के. सरदाना के स्थान पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के अनुसरण में भारत सरकार की दिनाँक 27 अक्तूबर 2004 की अधिसूचना सं. 5/11/सीएम/2000 के अनुसार बोर्ड में एक सदस्य के तौर पर नामित किया गया ।

2004-05 के दौरान, भाप्रविबो के बोर्ड की नौ बैठकें हुईं (सारणी 5.1) ।

सारणी 5.1: 2004-05 के दौरान बोर्ड की बैठकें

	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में उपस्थित
1	2	3
(i) अध्यक्ष		
श्री एम. दामोदरन्	1	1
(ii) पूर्णकालिक सदस्य		
श्री मधुकर	3	3
श्री जी. अनंतरामन्	3	3
(iii) सदस्य		
डॉ. अशोक के. लहिरी	9	8
श्री धीरेन्द्र स्वरूप	9	7
श्रीमती के.जे. उदेशी	9	6
श्रीमती कोमल आनंद	3	3

टिप्पणी:

1. श्री ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष का पद त्यागने से पूर्व, वर्ष के दौरान 8 बैठकों में उपस्थित रहे ।
2. श्री टी.एम. नागराजन्, पूर्णकालिक सदस्य का पद त्यागने से पूर्व, वर्ष के दौरान 5 बैठकों में उपस्थित रहे ।
3. श्री आलोक कुमार बतरा, पूर्णकालिक सदस्य का पद त्यागने से पूर्व, वर्ष के दौरान आयोजित 6 बैठकों में से 5 बैठकों में उपस्थित रहे ।
4. श्री एम.एम.के. सरदाना, सदस्य का पद त्यागने से पूर्व, वर्ष के दौरान 5 बैठकों में उपस्थित रहे ।

2. मानव संसाधन

पदोन्नतियों, तैनाती और तबादलों से संबंधित नीतियों को अमल में लाने के सिलसिले में मानव संसाधन विकास अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा । बोर्ड ने विभिन्न धाराओं, जैसे विधि, अनुसंधान, तकनीकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी, में अपने स्टाफ की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए भर्ती की प्रक्रिया की । कागज-रहित कार्यालय की दिशा में कदम उठाने के उद्देश्य से मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली की शुरुआत करना और भाप्रविबो के अधिकारियों को विदेशी विनियामक निकायों में प्रतिनियुक्त किये जाने की स्कीम प्रारंभ करना - 2004-05 की कुछ मुख्य विशेषताएँ रहीं ।

I. स्टाफ संख्या, भर्ती और प्रतिनियुक्ति

31 मार्च 2005 को, भाप्रविबो में विभिन्न श्रेणियों में कुल 467 कर्मचारी थे - 313 अधिकारी और 154 सेक्रेटरी एवं अन्य कर्मचारी । विदेशी विनियामक निकायों तथा बहुदेशीय संगठनों में अपने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भाप्रविबो ने विदेशी विनियामक निकायों तथा बहुदेशीय संगठनों में अपने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति / उप-नियुक्ति (सेकंडमेंट) / ड्यूटी पर दौरे / पुनःनियुक्ति हेतु स्कीम आरंभ की। तदनुसार इस स्कीम के तहत, 2 अधिकारियों को ओमान की सल्तनत के पूँजी बाजार प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया और 2 अधिकारियों को बहरेन मॉनीटरी एजेंसी में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया । 2004-05 के दौरान, भाप्रविबो में 2 अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति पर विशेष-कार्य अधिकारियों के रूप में कार्यग्रहण किया । 2004-05 के दौरान, 26 प्रशिक्षु अधिकारियों, 1 सेक्रेटरी तथा 3 लेखा सहायकों की भर्ती हुई ।

II प्रशिक्षण और कौशल वृद्धि

स्टाफ सदस्यों की कार्य-कुशलता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण दिए गए । स्टाफ सदस्यों को भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों / संगोष्ठियों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया । 2004-05 के दौरान, 209 स्टाफ सदस्य परिचय एवं तकनीकी कार्यक्रमों सहित 63 कार्यक्रमों में शामिल हुए, इस प्रकार प्रशिक्षण में कुल 1820 श्रम दिन लगे ।

III. पदोन्नतियाँ

2004-05 के दौरान, विद्यमान खाली पदों को भरते हुए, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ हुईं (सारणी 5.2)।

3. राजभाषा का संवर्धन

राजभाषा के संवर्धन की ओर बोर्ड का मुख्य ध्यान रहा । इस दिशा में, भाप्रविबो निवेशकों के संरक्षण, शिक्षण हेतु एवं उन्हें जागरूक करने के लिए सक्रिय रूप से निरंतर प्रयासरत तो है ही, बल्कि छोटे निवेशकों को पूँजी बाजार संबंधी प्रकाशित जानकारी सरलतम रूप में हिन्दी में तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध भी कराता है ।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में, वर्ष 2002-2003 राजभाषा जागरूकता वर्ष के रूप में और वर्ष 2003-2004 राजभाषा कार्यान्वयन वर्ष के रूप में मनाया गया । वर्ष 2004-05 राजभाषा अनुपालना वर्ष के तौर पर समर्पित रहा । वर्ष के दौरान, बोर्ड के कर्मचारियों को न केवल राजभाषा अनुपालना से संबंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर जैसी विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ मूलभूत सुविधाएँ भी मुहैया करायी गयीं, जिससे हिन्दी में दैनंदिन कार्य करना सुगम हुआ । बोर्ड द्वारा राजभाषा में प्रकाशित किये गये महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों की श्रृंखला में, 'विधि कार्य मार्गदर्शिका' नामक एक नई पुस्तक सीडी-रोम में प्रकाशित की गई । यह पुस्तक विनियमन से संबंधित कामकाज को हिन्दी में निष्पादित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगी । बोर्ड ने 'विनियामिका' नामक हिन्दी गृह-पत्रिका की भी शुरुआत की है । पाठकों ने इस पत्रिका के अंकुर अंक की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । द्विभाषिक सॉफ्टवेयर एवं संबंधित प्रोग्राम उपलब्ध कराये जाने का कार्य प्रगति पर है, ताकि कर्मचरियों के लिए अनुकूल प्रौद्योगिकी परिवेश उपलब्ध हो सके ।

बोर्ड पूँजी बाजार शब्दावली को अद्यतन बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान निरंतर देता आ रहा है । इस प्रकार, बोर्ड पूरी तरह से ध्येय - 'बोर्ड के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजभाषा हिन्दी सर्वाधिक सम्मानित और सशक्त साधन हो' को पूरा करने में सतत रूप से प्रयासरत रहने के प्रति कृत संकल्प है ।

सारणी 5.2: 2004-05 के दौरान पदोन्नतियाँ

पदोन्नत व्यक्तियों की संख्या	से	में
1	2	3
4	सेक्रेटरी	प्रबंधक / विधि अधिकारी (ग्रेड बी)
3	उप महाप्रबंधक	महा प्रबंधक
21	सहायक महाप्रबंधक / सहायक विधि सलाहकार / सहायक निदेशक	उप महाप्रबंधक / उप विधि सलाहकार / उप निदेशक
29	प्रबंधक	सहायक महाप्रबंधक
74	प्रशिक्षु अधिकारी	प्रबंधक

4. सूचना प्रौद्योगिकी

भाप्रविबो का लक्ष्य है कि यह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहे । इस प्रकार, 2004-05 के दौरान किए गए प्रयासों का लक्ष्य यही रहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के कारगर प्रयोग के जरिये विनियमन की दक्षता / क्षमता में वृद्धि हो । वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों में से कुछ प्रयासों का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. जानकारी प्रबंधन

जानकारी का आधार तैयार करने में संस्था को समर्थ बनाने के लिए सहयोग प्रणाली एक लंबी अवधि में कार्यान्वित की गयी थी, जिसका इस्तेमाल प्रभावी रूप से सोच-समझ कर निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है । यह सहयोग प्रणाली, भिन्न-भिन्न स्थानों पर एक ही प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही टीमों के बीच सहयोग करने में तथा उन्हें कारगर रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है ।

II. इलेक्ट्रॉनिक कार्यप्रवाह

कागज-रहित कार्यालय की दिशा में की गई पहलकदमी के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक कार्यप्रवाह को कार्यान्वित किया जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में सभी फाइलों के संचलन में एवं इनका रिकॉर्ड रखने में कर्मचारियों को समर्थ तो बनाता ही है और साथ ही इन तक पहुँच किसी भी स्थान से संभव है ।

III. संस्था संसाधन योजना का कार्यान्वयन

कामकाज-समर्थक रूपी प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए, मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली (एच.आर.एम.एस.) और वित्त-संबंधी मॉड्यूलों को कार्यान्वित किया गया, जो कि कर्मचारियों को स्वयं-सेवा की सुविधा प्रदान करते हैं । इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति रिकॉर्ड प्रणाली भी लागू की गयी ।

IV. ई-रजिस्ट्रीकरण तथा निगरानी हेतु कस्टम एप्लीकेशन

कामकाज के मुख्य-ड्राइवर रूपी प्रौद्योगिकी की भूमिका को भी बढ़ावा देने के लिए, भाप्रविबो द्वारा मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) के ऑन-लाइन रजिस्ट्रीकरण एवं निगरानी, निर्गमों तथा निवेशक-शिकायतों हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को लागू किये जाने की प्रक्रिया जारी है, ताकि विभिन्न विभागों के कृत्यों को सुचारू रूप से समेकित किया जा सके ।

V. भाप्रविबो का वेबसाइट

भाप्रविबो के वेबसाइट को उन्नत बनाये जाने हेतु प्राप्त सुझावों के अनुसरण में भाप्रविबो के वेबसाइट में कई बदलाव किये गये हैं ।

VI. भाप्रविबो उप-प्रमाणन प्राधिकरण

भाप्रविबो सर्टिफिकेट एथॉरिटी ऑफ टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज़ (टी.सी.एस.) के तहत उप-प्रमाणन प्राधिकरण बन गया है । इससे भाप्रविबो मध्यवर्तियों को डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने में समर्थ होगा, ताकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेनदेन हो सकें ।

VII. संकट निवारण व्यवस्था और निरंतर कामकाज योजना

भाप्रविबो ने चेन्नै में स्थित अपने दक्षिणी प्रादेशिक कार्यालय में नाज़ुक एप्लीकेशनों के लिए संकट निवारण व्यवस्था और निरंतर कामकाज योजना (डीआरएम / बीसीपी) की कार्यनीति अपनायी है । निरंतर कामकाज का लक्ष्य यही सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की अनिश्चित घटना के घट जाने की दशा में कामकाज फिर से जल्द से जल्द शुरु हो जायें । संकट निवारण और निरंतर कामकाज योजनाओं की नियमित समीक्षा, इनके उन्नयन तथा परीक्षण पर काफी जोर दिया जा रहा है ।

5. भौतिक अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर)

वर्तमान में बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में सेबी भवन का निर्माण-कार्य पूरे जोरों पर है । निचली मंज़िल के स्तर तक के ढाँचे का कार्य पूरा कर लिया गया है । भाप्रविबो ने अपने वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए स्वामित्व आधार पर 2 फ्लैट लिये और प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए पट्टा आधार पर एकल कमरे वाले 32 फ्लैट लिये ।

6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियमन के उच्च मानदंडों में संवृद्धि करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विनियामकों (रेगुलेटरों) के साथ सहयोग करने के लिए वचनबद्ध है, ताकि उचित, दक्ष तथा सुदृढ़ बाजारों की परंपरा को बरकरार रखा जा सके और विश्व के प्रतिभूति बाजारों के संवर्धन हेतु पारस्परिक सहायता उपलब्ध हो सके । भाप्रविबो ने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ 28 अप्रैल 2004 को बोध-ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये, ताकि दोनों संगठनों के बीच सूचना-माध्यम सशक्त हो सकें तथा सहायता एवं परस्पर सहयोग के लिए एक ढाँचा उपलब्ध हो सके ।

I. अंतरराष्ट्रीय बैठकें

भाप्रविबो ने पूँजी बाजारों के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएँ संचालित करने संबंधी आयस्को के प्रयासों को बरकरार रखा ।

भाप्रविबो ने अप्रैल 2004 में 'आयस्को के प्रतिभूति विनियमों के उद्देश्यों तथा सिद्धाँतों संबंधी कार्यान्वयन समिति' की बैठक का आयोजन किया । आयस्को के प्रतिभूति विनियमों के उद्देश्यों तथा सिद्धाँतों के मूल्याँकन हेतु वेब-आधारीय कार्य-पद्धति को अंतिम रूप देने के लिए, इस बैठक में 18 देशों के 24 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

भाप्रविबो ने अप्रैल 2004 में 'आयस्को के प्रतिभूति विनियमों के उद्देश्यों तथा सिद्धाँतों के कार्यान्वयन की मूल्याँकन कार्य-पद्धति' के संबंध में एक विशेष प्रशिक्षण सह संगोष्ठी का भी आयोजन किया । इस प्रशिक्षण संगोष्ठी में 27 देशों के 42 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई :

- आयस्को के सिद्धाँतों का परिचय और उनके कार्यान्वयन के मूल्याँकन हेतु कार्य-पद्धति;
- मूल्याँकन कार्य-पद्धति के विकास का प्रयोजन ;
- मूल्याँकन प्रक्रिया ;
- कार्य-पद्धति का इस्तेमाल कैसे करें ; और
- आयस्को के 30 सिद्धाँत और इन सिद्धाँतों के प्रति कार्य-पद्धति का व्यहार्य प्रयोग।

भाप्रविबो ने मुंबई में 10 अगस्त 2004 को आयोजित कंपनी शासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) संबंधी कार्य-दल की बैठक की मेज़बानी भी की । इस बैठक में 6 देशों के 9 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । विभिन्न मानदंडों के आधार पर कंपनी का मूल्याँकन करने के सिलसिले में साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी द्वारा तैयार किए गए 'गवर्नेंस एंड वेल्यु क्रियेशन रेटिंग्स्' (शासन एवं मूल्य सृजन रेटिंगों) पर रौशनी डालते हुए एक प्रेजेंटेशन दिया गया । इसके बाद इस बैठक में पृष्ठभूमि-पर्चे पर चर्चा हुई ।

वर्ष 2004-05 के दौरान, भाप्रविबो ने आयस्को की निम्नलिखित बैठकों में हिस्सा लिया :

- जॉर्डन में आयस्को का वार्षिक सम्मेलन ;
- सिंगापुर में एशिया पेसिफिक रीजनल कमेटी की बैठक ;
- केप टाउन में एमर्जिंग मार्केट एडवाइजरी बोर्ड की बैठक ;
- काइरो में कंपनी शासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) संबंधी कार्य-दल की बैठक ;
- टोकियो में आयस्को की तकनीकी समिति की स्थायी समिति - 2 की बैठक ; और
- इंडोनेशिया में गैर-कागज़ी प्रक्रिया (डीम्यूचुअलाइजेशन) संबंधी बातचीत ।

II. जॉर्डन में आयस्को की वार्षिक बैठक

जॉर्डन सिक्योरिटीज कमीशन ने अम्मन, जॉर्डन में आयस्को के 2004 के वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी की, जिसमें विश्व भर के सभी क्षेत्रों के 500 से भी अधिक सहभागियों ने हिस्सा लिया ।

इस सम्मेलन के दौरान कई महत्त्वपूर्ण प्रयासों तथा उपलब्धियों की घोषणा की गयी, उनमें से कुछ हैं :

क) आयस्को की प्रेसिडेंट्स कमेटी, जिसका प्रतिनिधित्व आयस्को के सभी सदस्यों ने किया, ने प्रतिभूति उद्योगजगत के लिए ग्राहक पहचान तथा हिताधिकारी स्वामित्व (बेनिफीशियल ओनरशिप) संबंधी सिद्धाँतों का समर्थन किया और इन्हें अपना लिया । इससे प्रतिभूति बाजार के लिए ग्राहक पहचान के सुदृढ़ मानदंडों के प्रति विश्वभर के प्रतिभूति विनियामकों की वचनबद्धता झलकती है ।

ख) आयस्को ने अपने सदस्यों के लिए अपने इंटरनेट वेबसाइट पर उपलब्ध नयी विशेषता की घोषणा की - पहले ही से समर्थित, प्रतिभूति विनियमन के उद्देश्यों एवं सिद्धाँतों के कार्यान्वयन के मूल्याँकन हेतु आयस्को की कार्य-पद्धति (मूल्याँकन कार्य-पद्धति) का इलेक्ट्रॉनिक, अंतःसक्रिय रूप । इस इलेक्ट्रॉनिक रूप का आशय यह था कि आयस्को के सदस्यों का स्व-मूल्याँकन और प्रतिभूति बाजार के विनियामक-क्षेत्रों का तृतीय-पक्ष मूल्याँकन सुकर हो सके।

ग) आयस्को ने 'बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन' (बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति) तथा 'इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स' (बीमा पर्यवेक्षक अंतरराष्ट्रीय संघ) के सहयोग से 'फाइनेंशियल डिस्क्लोजर इन द बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटीज सेक्टर्स : इश्यूस एंड एनेलिसिस' (बैंकिंग,

बीमा एवं प्रतिभूति क्षेत्र में वित्त-संबंधी प्रकटीकरण : मुद्दे एवं विश्लेषण) संबंधी रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को अपनाने में वित्तीय फर्मों द्वारा की गई प्रगति की जाँच की ।

घ) आयस्को की कार्यपालक समिति ने इस्लामिक पूँजी बाजार (कैपिटल मार्केट) संबंधी कार्य-दल का गठन किया, ताकि विकास तथा संभाव्य विनियामक मुद्दों का मूल्याँकन करने के लिए तथ्य जुटाये जा सकें । यह अध्ययन एक सूचनात्मक दस्तावेज था जिसमें आम तौर पर इस्लामिक वित्तीय सेवाओं के उद्योगजगत का वर्णन है और इसमें मोटे तौर पर इस्लामिक पूँजी बाजार से संबंधित मुख्य मुद्दों पर रौशनी डाली गयी है ।

ङ) आयस्को ने द्वितीयक बाजार के विनियमन, बाजार मध्यवर्तियों के विनियमन, जानकारी के प्रवर्तन तथा आदान-प्रदान, सामूहिक निवेश स्कीमों तथा आस्ति प्रबंधन के सिलसिले में अद्यतन जानकारी भी मुहैया करायी ।

च) आयस्को की एसआरओ परामर्शदात्री समिति (कन्सल्टेटिव कमेटी) ने अनुपालना अधिकारी के कार्य के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की - सदस्यों के देशों के विनियमों में अनुपालना अधिकारी के कार्य के विषय में क्या प्रावधान हैं, इस संबंध में एक अध्ययन है, जिसमें यह उल्लेख है कि अनुपालना अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे लागू नियमों एवं विनियमों के सिलसिले में फर्म की अनुपालना पर नज़र रखें ।

छ) आयस्को की एमर्जिंग मार्केट्स कमेटी ने उभरते हुए बाजारों की लेखा-समीक्षा तथा प्रवर्तन व्यवस्थाओं के संबंध में एक सर्वेक्षण किया, जिसके परिणामों की समीक्षा समिति ने अम्मन में की ।

ज) आयस्को की एमर्जिंग मार्केट्स कमेटी ने उभरते हुए बाजारों वाले देशों में अधिग्रहण (टेकओवर) विनियमों के प्रवर्तन-संबंधी पहलुओं के सिलसिले में भी एक सर्वेक्षण किया था । समिति ने सर्वेक्षण के परिणामों संबंधी प्रारंभिक मसौदा-रिपोर्ट की समीक्षा की ।

झ) वार्षिक सम्मेलन में - सीआईएस के विनियमन में आ रही नयी चुनौतियों, लेखा एवं लेखापरीक्षा मानदंडों की अंतरराष्ट्रीय समरूपता तथा जनता की निगरानी, प्रतिभूति बाजार कीमत निर्माण तंत्र एवं विलय (मर्जर) में वर्तमान विकास, प्रतिभूति एक्सचेंजों की गैर-कागजी प्रक्रिया (डीम्यूचुअलाइजेशन) तथा शासन - जैसे वर्तमान मूल विनियामक मुद्दों पर भी चर्चा की गयी।

III. केंद्रीय काउंटरपार्टियों के लिए सिफारिश

केंद्रीय काउंटरपार्टी इसके सहभागियों को होने वाले जोखिम को कम कर देती है और वित्तीय स्थिरता लाती है । यह जोखिमों को तथा जोखिम प्रबंधन की जिम्मेदारियों को संकेंद्रित करती है और इसके जरिये सुव्यवस्थित एवं स्तरीय जोखिम नियंत्रण व्यवस्था होनी चाहिये और इसके पास पर्याप्त वित्तीय साधन भी होने चाहिए ।

आयस्को की तकनीकी समिति तथा भुगतान एवं निपटान प्रणालियों संबंधी समिति (सी.पी.एस.एस.) द्वारा संयुक्त रूप से गठित कार्य-दल ने नवम्बर 2004 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें केंद्रीय काउंटरपार्टी (सीसीपी) की जोखिम व्यवस्था हेतु व्यापक मानदंडों का उल्लेख है ।

इसमें कानूनी जोखिम, भाग लेने संबंधी अपेक्षाओं, क्रेडिट एक्सपोजरों की माप एवं व्यवस्था, मार्जिन अपेक्षाओं, वित्तीय साधनों, चूक प्रक्रियाओं, अभिरक्षा एवं निवेश जोखिमों, प्रचालनगत जोखिम, धन-संबंधी निपटानों, भौतिक सुपुर्दगियों, सीसीपी के बीच संपर्क साधने में जोखिमों, दक्षता, शासन, पारदर्शिता एवं विनियमन तथा निगरानी का समावेश है।

सुदृढ़ वित्तीय साधनों तथा कुशल मानव संसाधनों वाली कई वित्तीय संस्थाएँ केंद्रीय काउंटरपार्टी के रूप में कार्य करना चाहती हैं । उपरोक्त सिफारिशें उन्हें इस बात का मूल्याँकन करने में सहायक होंगी कि वे सिफारिश किए गए मानदंडों की तुलना में स्वयं कहाँ खड़ी हैं ।

IV. अंतरराष्ट्रीय पहल

भाप्रविबो ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पारदर्शी, दक्ष तथा निवेशक-हितकारी प्रतिभूति बाजारों के प्रबल विकास के औचित्य की वकालत करना जारी रखा । इस संबंध में, एशिया पेसिफिक रीजनल कमेटी (एपीआरसी) ने सिंगापुर में आयोजित अपनी बैठक में भाप्रविबो से अनुरोध किया कि वे आयस्को के मानदंडों एवं उद्देश्यों को सुचारू रूप से अपनाये जाने एवं इनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए अध्यक्षों की समिति का नेतृत्व करें । भाप्रविबो ने दूसरे देशों से अनुरोध किया है कि वे इस समिति का हिस्सा बनें, जो कि परियोजना (प्रोजेक्ट) पर कार्य करेगी ।

भाप्रविबो सामर्थ्य-निर्माण से संबंधित एपीआरसी के प्रयास से भी जुड़ा रहा है । इस प्रयास का लक्ष्य एपीआरसी के सदस्यों की जरूरतों तथा विशेषज्ञता का पता लगाना है, ताकि एपीआरसी के सदस्यों के विनियामक कृत्यों के संबंध में सामर्थ्य पैदा करने के लिए संसाधनों को एकत्र किया जा सके । सामर्थ्य-निर्माण संबंधी अध्यक्षों की समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

- सिक्योरिटीज कमीशन, मलेशिया (अध्यक्ष)
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
- ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन, और
- द मॉनीटरी एथॉरिटी ऑफ सिंगापुर,

सामर्थ्य-निर्माण के प्रयास के तौर पर, कई देशों ने अपने विनियामक ढाँचे को विकसित करने हेतु भाप्रविबो द्वारा आवश्यक सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की संभावना के संबंध में जांच-पड़ताल की है । बहरेन मॉनीटरी एथॉरिटी, वियतनाम के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन - श्रीलंका और नेपाल के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ने भाप्रविबो से निवेदन किया है कि यह विनियामक ढाँचे को विकसित करने में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करे । भाप्रविबो ने बहरेन मॉनीटरी एथॉरिटी और ओमान की कैपिटल मार्केट्स एथॉरिटी प्रत्येक में दो अधिकारियों को पहले ही प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया है ।

7. संसदीय समिति

राज्य सभा की अधीनस्थ विधायन संबंधी संसदीय समिति ने श्री ए. विजयराघवन् की अध्यक्षता में 7 फरवरी 2005 को मुंबई में बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की । भाप्रविबो (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 में कुछ संशोधन करने के लिए माननीय समिति द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार भी कर लिया गया और अब भाप्रविबो द्वारा इन्हें कार्यान्वित भी कर दिया गया है ।